न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 54/2022, जिला सीकर

1. केशर देव पुत्र श्री भागूराम, जाति–जाट व निवासी ग्राम दुर्गापुरा तन पीपराली तहसील व जिला सीकर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर निर्णय दिनांक 31.12.2021

उपस्थित–

1. श्री कपिल तोतला, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –13.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 31.12.2021 के खिलाफ मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 13.04.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार सीकर जिला सीकर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर को प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 07.12.2021 के द्वारा भिजवाया गया। ग्राम पंचायत पिपराली तहसील सीकर के खसरा नं. 1333, 1334, 1332, 1388, 1382, 1383, 1384, 1366, 1413, 1365/3626, 1414, 1415, कुल किता 12 में ग्राम पंचायत बाजोर रोड से चारण की ढाणी रोड तक के रास्ते का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत की अनापत्ति, नक्शा ट्रेस के राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत प्रेषित किया गया। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा आवागमन हो रहा है। किसी खातेदार/काश्तकार की ओर से आपत्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। जिस बाबत उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2021 को उक्त खसरों नम्बरों में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 31.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट केशर देव पुत्र भागूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर 31.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप.। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत पीपराली तहसील व

Scanned with OKEN Scanner

जिला सीकर मं आराजी खसरा नंबर 1333, 1334, 1332, 1388, 1382, 1383, 1384, 1366, 1413, 1365/3626, 1414, 1415 कुल किता 12 के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपराली द्वारा इन खसरों में रास्ते हेतु अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी सीकर को की गई। उपखण्ड अधिकारी सीकर ने दिनांक 31.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में बिना अपीलार्थी को नोटिस जारी किये नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन कर उपरोक्त लिखित समस्त खसरों की कुछ भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश कर दिये। अपीलार्थी को इस तथ्या का मालूम होने पर उन्होंने अपने खसरा नंबर 1365/3626 व 1388 में गलत कटान के संबंध में आपत्ति कर आदेश दिनांक 31.12.2021 में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2022 को पेश किया। किन्तु इस आपत्ति को रिकार्ड पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया। इस आदेश से अपीलार्थी का हित प्रभावित होता है। तहसीलदार सीकर द्वारा भेजी गई अनुशंषा में यह लिखा कि उपरोक्त खसरों में प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा आवागमन हो रहा है। किन्तु जबकि वास्तविक रूप मे उक्त कथन अपीलार्थी की भूमि खसरा संख्या 1365/3626 व 1388 के संदर्भ में गलत है क्योंकि इन खसरों में न तो यह रास्ता चालू है और ना ही इसमें कोई आवगमन का रास्ता वर्तमान में है। अपीलार्थी की भूमि संख्या 1365/3626 व 1388 पर कभी कोई रास्ता नहीं है और ना ही रहा है और जो रास्ता काटने के आदेश दिये गये वह भी सही नहीं है क्योंकि उक्त रास्ता जो काटे जाने के आदेश दिये गये है वह आगे जाकर बंद हो जाता है। जिस कारण उक्त रास्ते को काटने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रास्ता केवल मात्र अन्य खसरा संख्या के मालिकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। रास्ते काटने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी न तो अपीलार्थी को नोटिस दिया गया और न ही कोई मौका रिपोर्ट ली गई और ना ही मौके कौ वास्तविक रूप से देखा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 2016 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 31.12.2021 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। किसी खातेदार/काश्तकार की ओर से आपत्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने, मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर चालू है तथा आवागमन हो रहा है। किसी खातेदार/काश्तकार की ओर से आपत्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है। यह रास्ता ग्राम प्रचायत बाजोर रोड से चारण की ढाणी रोड तक जाता है। उक्त रास्ता ग्राम पंचायत पिपराली तहसील सीकर के खसरा नं स्थत भूमि खसरा नम्बर 1333, 1334, 1332, 1388, 1382, 1383, 1384, 1366, 1413, 1365/3626, 1414, 1415 कुल किता 12 में से होकर गुजरता है। उक्त रास्ता ग्राम पंचायत, पिपराली एवं तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट अनुसार सार्वजनिक उपयोग में आ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रहा है एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के पश्चात राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार सीकर जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है, इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 में अपीलान्ट स्वंय मौके पर उपस्थित रहा है। जिसमें अपीलान्ट कें स्वंय के हस्ताक्षर हैं। फर्द मौका रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये है। जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलाधीन आदेश की उसे जानकारी नही थी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर का निर्णय दिनांक 31.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/23.

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner